भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
02.09.2011

<u>निविदा सूचना</u>

नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में गृह मंत्रालय में लगाए गए 54 नोर्टेल एल ए एन स्विचों की व्यापक वार्षिक अनुरक्षण संविदा सौंपे जाने के लिए प्रतिष्ठित फर्मों/एजेंसियों से दो प्रकार की बोली प्रणालियों (तकनीकी और वित्तीय) में मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

2. निविदा संबंधी दस्तावेज, आहरण एवं संवितरण अधिकारी, गृह मंत्रालय के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 500/- रु. का भुगतान करके अनुभाग अधिकारी (प्रशा.।।।), कक्ष सं. 02, नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली से प्राप्त किया जा सकता है। बोली प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तारीख 30.09.2011 पूर्वाह्न 11.00 बजे तक है तथा तकनीकी बोली उसी दिन पूर्वाह्न 11.30 बजे खोली जाएगी। विस्तृत निबंधन एवं शर्तें गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.nic.in से देखी जा सकती हैं/डाउनलोड की जा सकती हैं। गृह मंत्रालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रपत्र के साथ आहरण एवं संवितरण अधिकारी, गृह मंत्रालय के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 500/- रु. का निविदा शुल्क भेजा जाना चाहिए।

(एन.के. अरोड़ा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सं. डी-31016/06/2011-प्रशा.|||

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : .02.09. 2011

<u>निविदा सूचना</u>

गृह मंत्रालय, भारत सरकार का, गृह मंत्रालय में लोकल एरिया नेटवर्क के नेटवर्क स्विचों की व्यापक अनुरक्षण संविदा (कम्प्रिहेंसिव मेंटन्नेंस कान्ट्रैक्ट) हेतु प्रतिष्ठित फर्मों के साथ संविदा करने का प्रस्ताव है। अत: गृह मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा सरकारी विभाग में नेटवर्क की वार्षिक अनुरक्षण संविदा (एन्यूल मेंटन्नेंस कान्ट्रैक्ट) का अनुभव रखने वाले मजबूत वित्तीय पृष्ठभूमि के अनुभवी तथा प्रामाणिक सेवा प्रदाताओं से दो बोलियों वाली प्रणाली (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) के तहत निविदाएं आमंत्रित करता है। निबंधन और शर्तें अनुलग्नक-क में तथा नेटवर्क घटकों की सूची अनुलग्नक-ख में दी गई हैं। वित्तीय बोली में प्रत्येक मद की अनुरक्षण-दर शामिल की जाए। वित्तीय बोली केवल उन्हीं बोलीदाताओं की खोली जाएगी जो तकनीकी बोलियों में सफल रहेंगे।

2. तकनीकी बोली के साथ आहरण एवं संवितरण अधिकारी, गृह मंत्रालय के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में 10,000/- रु. (केवल दस हजार रु.) की निर्धारित बयाने की राशि, अवश्य संलग्न की जानी चाहिए। निविदाएं, जिनमें निर्धारित प्रपत्र में बयाने की राशि संलग्न नहीं की गई होगी, सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दी जाएंगी।

3. बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि उन्होंने तकनीकी बोली के साथ वैध सेवा कर पंजीकरण संख्या तथा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए न्यूनतम 25 लाख रु. के वार्षिक कारोबार को दर्शाने वाले प्रमाणपत्र/दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जिनके न होने पर निविदा अधूरी मानी जाएगी और उक्त निविदा सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दी जाएगी।

4. निविदाकार भारत में पंजीकृत एक कंपनी होनी चाहिए।

5. निविदाकार की बाजार में अच्छी साख होनी चाहिए और उसके ग्राहकों में वरीयत: सरकारी विभाग/मंत्रालय, सरकारी उपक्रम तथा अन्य प्रतिष्ठित संगठन होने चाहिएं।

6. वेंडर के <u>नार्टल/अवाया</u> के साथ समुचित सहायता संबंध (चैनल पार्टनर, सर्विस पार्टर आदि) होना चाहिए जिससे कि ओ ई एम से सहायता का वरीय स्तर सुनिश्चित हो सके।

7. निविदाकार को लैन (एल ए एन) नेटवर्क के अनुरक्षण के क्षेत्र (ए एम सी/ एफ एम सी/आई एम एस) में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

8. निविदाकार को पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष लाभ कमाने वाला संगठन होना चाहिए।

9. निविदाकार के पास लैन नेटवर्क/स्विचों के प्रबंधन/अनुरक्षण में पर्याप्त अनुभव रखने वाले तकनीकी स्टाफ मौजूद होना चाहिए। इंजीनियरों के विवरण तकनीकी बोली के साथ उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

10. तकनीकी बोली और वित्तीय बोली को दो अलग-अलग लिफाफों में, जिन पर मोटे अक्षरों में क्रमश: तकनीकी बोली और वित्तीय बोली लिखा गया हो, को एक साथ रखकर तथा इसके बाद इन्हें एक सीलबंद लिफाफे में, जिस पर मोटे अक्षरों में ''गृह मंत्रालय में लोकल एरिया नेटवर्क की नेटवर्क स्विचों हेतु व्यापक ए एम सी के लिए निविदा'' और अवर सचिव (प्रशा.।।।), कक्ष सं. 2 ए, गृह मंत्रालय, नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-01 लिखा गया हो को संबोधित किया गया हो, इस प्रकार भेजा जाए कि यह 30.09.2011 को 11.00 AM बजे तक पहुंच जाए। निविदा को कक्ष सं. 2, नोर्थ ब्लॉक के निकट टंगे निविदा बक्से में भी जमा कराया जा सकता है।

11. तकनीकी बोलियां उसी दिन 11.30 AM बजे निविदाकारों अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों, जो वहां उपस्थित रहना चाहें, की उपस्थिति में खोली जाएंगी। वित्तीय बोली वाले लिफाफे इस कार्यालय द्वारा निर्धारित तारीख को केवल उन्हीं निविदाकारों के खोले जाएंगे जो तकनीकी दृष्टि से सफल पाए गए होंगे। वित्तीय बोली के खोलने की तारीख/समय के बारे में तकनीकी बोली में केवल सफल निविदाकारों को अलग से सूचित कर दिया जाएगा।

12. मंत्रालय का निर्णय अन्तिम होगा तथा इस मंत्रालय को बिना कोई कारण बताए किसी अथवा सभी निविदाओं को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है। महत्वपूर्ण: लैन में इस्तेमाल किए गए नेटवर्क स्विच नोर्टल मेक के हैं तथा इनमें रूटिंग/सिक्यूरिटी/आई पी सबनेटों के लिए गहन विन्यास (कान्फिग्रेशन) निहित हैं अत: इनके अनुरक्षण में घटकों के मात्र बदले जाने से कहीं ज्यादा अपेक्षित है और इसलिए इंजीनियर, नार्टल उत्पादों के रखरखाव तथा विन्यास में विशेषज्ञ होने चाहिएं। अत: आकस्मिकता पड़ने पर किसी नेटवर्क स्विच की मरम्मत/बदले जाने/विन्यास में बिलकुल भी समय नहीं लगना चाहिए। इसके अतिरिक्त लैन में इस्तेमाल किए गए स्विचों से पूरे गृह मंत्रालय का कार्य-निष्पादन होता है। अत: निविदाकार द्वारा कोई भी बोली सावधानीपूर्वक लगायी जानी चाहिए।

(एन.के. अरोड़ा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23094956

अनुलग्नक ''क''

<u>निबंधन एवं शर्तें</u>

1. तकनीकी बोली के साथ आहरण एवं संवितरण अधिकारी, **गृह मंत्रालय के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में 10,000/- रु. (दस हजार रु. केवल) की निर्धारित बयाना राशि भेजी जाए।**

2. तकनीकी बोली के साथ वैध सेवा कर पंजीकरण प्रमाणपत्र भेजा जाए।

3. बोलीदाता नोर्टेल/अवाया की ओर से वैध प्रमाणपत्र की प्रति भी प्रस्तुत करेगा कि यह नोर्टेल का एक भागीदार है।

4. **तकनीकी बोली के साथ पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान 25 लाख से अधिक का वार्षिक कारोबार** दर्शाने वाले विधिवत अधिप्रमाणित प्रमाणपत्र/दस्तावेज भेजे जाएं।

5. तकनीकी बोली के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा सरकारी विभाग द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र भेजा जाए।

6. तकनीकी बोली के साथ इस आशय का लिखित आश्वासन लगाया जाना चाहिए कि जिन इंजीनियरों से परामर्श किया जाएगा उन्हें उचित अनुभव प्राप्त होगा।

7. सी एम सी की कवरेज का क्षेत्र निविदा दस्तावेज के अनुलग्नक–ख में सूचीबद्ध मंत्रालय में नोर्टेल लेन नेटवर्क तक होगा।

8. विक्रेता व्यापक अनुरक्षण सेवाएं मुहैया कराएगा जिनमें सी एम सी के अंतर्गत शामिल सभी परिसंपत्तियों के संबंध में निवारक तथा सुधारात्मक दोनों प्रकार का अनुरक्षण शामिल होगा।

9. सुधारात्मक अनुरक्षण के अंतर्गत विक्रेता उपकरणों में किसी खराबी, त्रुटि और कमी को ठीक करेगा तथा उपकरण के किसी घिसे–पिटे, खराब भागों को बदलेगा जिनके लिए वह मंत्रालय से कोई लागत नहीं वसूल करेगा। उपकरणों के सभी भागों को इस करार में शामिल किया जाएगा।

10. निवारक कार्यों में उपकरणों की सफाई, अपडेशन ऑफ पैचेज़, उपकरण निदान परीक्षण करना और उपचारात्मक कार्रवाई करना शामिल है। विक्रेता अनुरक्षण अवधि के दौरान

प्रतिमाह कम से कम एक निवारक अनुरक्षण कार्यक्रम का प्रावधान करेगा। विक्रेता प्रति माह मासिक निवारक अनुरक्षण कार्य को प्रमाणित कराएगा।

11. सी एम सी के अन्तर्गत शामिल हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित होने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए विक्रेता द्वारा आवश्यक तकनीकी सहायता और सलाह प्रदान की जाएगी।

12. विक्रेता स्विचों के ऊपर पैचों की अपडेटिंग के लिए जिम्मेदार होगा जो एन आई सी अधिकारियों से विधिवत अनुमति प्राप्त करने के पश्चात नोर्टेल/अवाया द्वारा उनकी रिलीज़ किए जाने के तत्काल बाद की जानी चाहिए।

13. विक्रेता सी एम सी के अंतर्गत शामिल उपकरणों को बदलने और उन्हें फिर से लगाने में आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

14. सी एम सी के अंतर्गत शामिल सभी उपकरणों के लिए हेल्थ कार्ड (लॉग सहित) रखा जाएगा।

15. विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि प्रयोक्ताओं से प्राप्त सभी कॉलों का पता लगाया जाएगा और उनका अन्तिम रूप से समाधान किया जाएगा। सभी कॉलों की स्थितिपरक रिपोर्ट मासिक आधार पर मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए।

16. इंजीनियर अपने काम में पर्याप्त रूप से दक्ष होने चाहिएं ताकि वे प्रथम स्तर का निदान कर सकें और स्विचों आदि जैसे सक्रिय नेटवर्क उपकरणों से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकें।

17. विकेता मंत्रालय के पूर्वानुमोदन के बिना किसी संगठन, व्यक्ति, फर्म अथवा फ्रेन्चाइजी को सी एम सी की उप संविदा नहीं देगा। यदि किसी भी समय गृह मंत्रालय के नोटिस में यह बात आती है कि इस प्रकार की सब-लेटिंग की गई है तो गृह मंत्रालय विक्रेता से इस मामले में सम्पर्क किए बिना इस संविदा को अपने विवेकाधिकार से समाप्त कर देगा।

18. वेंडर द्वारा लैन नेटवर्क का 99.5% अपटाइम सुनिश्चित किया जाएगा। यदि किसी तिमाही के दौरान वेंडर द्वारा उपकरण के अपटाइम का रखरखाव नहीं किया जाता है तो मंत्रालय के सवनिर्णय द्वारा समानुपाती रखरखाव प्रभारों को काट लिया जाएगा। यदि अवकाश के अलावा किन्हीं अन्य दिवसों पर शिकायत दर्ज किए जाने के 24 घंटे के भीतर फोन नहीं उठाया जाता है तो 1000 रु. जुर्माने के रूप में काट लिए जाएंगे।

19. वेंडर अनुलग्नक-ख में उल्लिखित मदों हेतु स्पेयर पार्ट का पर्याप्त भंडार कार्य स्थल पर उपलब्ध रखेगा।

20. मंत्रालय संविदा की अवधि के दौरान किसी भी कारण से सी एम सी की दरों में परिवर्तन संबंधी किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।

21. मंत्रालय को बिना कोई कारण बताए संविदा अवधि के दौरान एक माह के नोटिस पर संविदा को समाप्त करने का अधिकार है संविदा समाप्त होने पर रखरखाव प्रभारों का भुगतान यथानुपात आधार पर किया जाएगा।

22. वेंडर यह सुनिचिश्त करेगा कि शिकायत दर्ज किए जाने के दो घंटे के भीतर खराब हार्डवेयर सहायक उपकरणों, आपरेटिंग सिस्टमों इत्यादि को ठीक किया जाएगा। यदि वेंडर निर्धारित समय-सीमा के भीतर इन्हें ठीक नहीं कर पाता है तो वेंडर अपनी स्वयं की लागत पर अपेक्षित हार्डवेयर/साफ्टवेयर मुहैया करवाएगा ताकि कार्य चलता रहे।

23. तकनीकी बोलियों में मूल्य वाला भाग नहीं होगा किन्तु इनमें अनुभव, अवसंरचना इत्यादि संबंधी सभी अपेक्षित तकनीकी विवरण मौजूद होंगे।

24. निविदा एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाएगी जिसके भीतर तकनीकी तथा वित्तीय बोली के लिए अलग-अलग दो सीलबंद लिफाफे जिन पर ''तकनीकी बोली'' तथा ''वित्तीय बोली'' लिखा हो, मौजूद होंगे।

25. संविदा प्रारंभ में एक वर्ष के लिए दी जाएगी।

26. संविदा प्राप्त करने से पूर्व निविदाकर्ता को गृह मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे।

27. पक्ष बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के सोमवार से शनिवार तथा यदि अपेक्षित हो तो अवकाश वाले दिन/रविवार को भी कॉल रिपोर्टिंग के दो घंटे के भीतर रख-रखाव सेवा मुहैया करवाएगा।

28. यदि किसी उपकरण/मशीन को ठीक करने के लिए सर्विस सेंटर ले जाया जाता है तो फर्म एक वैकल्पिक उपकरण मुहैया करवाएगी तथा उपकरण को बाहर ले जाने से पूर्व वह सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करेगी। उपकरण को लाने ले जाने का खर्चा तथा बीमा की लागत फर्म द्वारा वहन की जाएगी।

29. फर्म फोन अथवा संचार के किसी अन्य माध्यम द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत का सम्मान करेगी। शिकायत दर्ज करवाते ही उपकरण ठीक करने के लिए दिए गए समय की गणना प्रारंभ हो जाएगी तथा यह तब तक जारी रहेगी जब तक कि उपकरण को भली-भांति ठीक करके प्रयोक्ता से इस संबंध में प्रमाण-पत्र प्राप्त न कर लिया जाए।

30. सी एम सी अवधि की समाप्ति तक फर्म सभी उपकरणों को संभाल कर रखेगी तथा यदि सी एम सी को और आगे नहीं बढ़ाया जाता अथवा इसे समाप्त कर दिया जाता तो फर्म आगामी वेंडर को सारे सामान को चालू हालत में सौंपेगी

31. संविदा एक वर्ष के लिए होगी। संबंधित मदों की व्यापक सी एम सी संबंधित मदों की वारंटी समाप्त होने के अगले दिन से प्रारंभ होगी। अत: उन मदों, जो अभी भी वारंटी के तहत हैं की व्यापक सी एम सी दरें यथानुपात आधार पर होंगी ताकि सभी मदों की व्यापक सी एम सी व्यापक सी एम सी प्रारंभ होने की तारीख से एक ही दिन समाप्त हों।

रख-रखाव सेवा में निम्नलिखित सेवाओं को शामिल नहीं किया गया है:

(i) सफल बोलीदाता द्वारा अपर्याप्त सहायक/अतिरिक्त पुर्जों, विद्युत शक्ति तथा वातानुकूलन और आर्द्रता नियंत्रण के कारण उपस्करों की क्षति की मरम्मत, अनुरक्षण पुर्जों को बदलना।

ii) उपकरणों को उस उद्देश्य, जिसके लिए उनका निर्माण किया गया है, के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग करने सहित उनकी अनदेखी अथवा दुरुपयोग।

(iii) दुर्घटना अथवा आपदा जिसमें, जल, वायु, तडित, यातायात, उन मशीनों, जिन्हें धन रखने के लिए डिज़ाईन किया गया है का विध्वंस अथवा उनकी चोरी

(iv) परिवर्तन जिसमें सफल बोलीदाता द्वारा प्राधिकृत किए बिना उपकरण की मूल रूपरेखा में परिवर्तन किया जाना भी शामिल है।

(v) एक मॉडल से दूसरे मॉडल में रुपांतरण अथवा किसी खास विशेषता को उपकरण में जोड़ना अथवा उसे हटा देना जब सफल बोलीदाता के अलावा कोई अन्य पार्टी इन गतिविधियों को अंजाम देती हैं।

(vi) कृतन्कों अथवा प्राकृतिक आपदा द्वारा क्षति।

(एन.के. अरोड़ा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23094956